

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-183/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
17.01.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 15.02.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 15.02.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Dem</i> 17.1.20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
15.02.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 11.03.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 11.03.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Dem</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
11.03.2020	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-135, दिनांक-29.02.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक-06.03.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक डाक्टर भूमिज, पिता-स्व० श्रवन भूमिज, जाति-भूमिज (अ.ज.जा.), ग्राम-सिलफोड़ी, पो०-जामीद, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित भूमि मौजा-सिलफोड़ी, थाना नं०-97, खाता नं०-213, खेसरा नं०-970, रकवा-09 डि० 500 वर्गकड़ी भूमि क्रेता सरीता बांकिरा, पिता-स्व० जुगसिंह बांकिरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-गुलकेरा, पो०-चिरुबेड़ा, थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक डाक्टर भूमिज, पिता-स्व० श्रवन भूमिज, जाति-भूमिज (अ.ज.जा.), ग्राम-सिलफोड़ी, पो०-जामीद, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति भूमिज (अ.ज.जा.) एवं क्रेता का जाति हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान मरम्मती हेतु बेचना चाहते हैं। आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या-185, दिनांक-11.03.2020 समर्पित कर बताया गया है कि प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास मौजा-सिलफोड़ी मंत्री टोला बड़ा तालाब के पास 0.50 ए० भूमि अवशेष है एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आवेदक के पास 2.15.500 ए० भूमि अवशेष बताया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल रकवा 2.65.500 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता डाक्टर भूमिज, पिता-स्व० श्रवन भूमिज, जाति-भूमिज (अ.ज.जा.), ग्राम-सिलफोड़ी, पो०-जामीद, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 2,00,000/- (दो लाख) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Dem</i> 11.3.20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	